रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 108] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मार्च 25, 1982/चैत्र 4, 1904
No. 108] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 1982/CHAITRA 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1982

धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम, 1890 के सम्बन्ध में

और

खिलाडियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि, नई दिल्ली के संबंध में ।

का.आ. 166(अ).—जबकि सचिव, भारत सरकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा विभाग, ने धर्मार्थ प्रयोजनों के न्यास में खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि, नई दिल्ली की धनराशि के प्रयोगकर्ता होने के नाते ये निधियां इसके साथ संलग्न अनुसूची 'क' में उल्लिखित निधियों में भारत की धर्मार्थ अक्षय निधि के कोषाध्यक्ष को उक्त निधियों के संचालक के लिए योजना तैयार करने हेतु सौंपने के लिए आवेदन किया है ;

अत अब केन्द्र सरकार धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा उपरोक्त कथनानुसार आवेदन के आधार पर और सचिव, भारत सरकार, शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय, शिक्षा विभाग की सहमति से एतद्द्वारा आदेश देती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 'क' में निर्धारित धनराशि इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त निधियों की व्यवस्था हेतु इसके साथ संलग्न अनुसूची 'ख' में उल्लिखित योजना में निर्धारित शर्तों तथा न्यास के अनुसार भारत के धर्मार्थ अक्षय निधि के कोषाध्यक्ष और न्यास के पद पर उनके उत्तराधिकारी को सौंपी जाएगी । उक्त धन राशि और उससे होने वाली आय को वे अपने पास रखेंगे ।

और एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अंतर्गत इसके साथ संलग्न अनुसूची 'ख' में उल्लिखित योजना, उक्त निधि की व्यवस्था के लिए निर्धारित की गई है तथा उक्त अधिनियम की उक्त धारा 5 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्द्वारा साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे तत्काल लागू कर दिया जाएगा ।

अनुसूची 'क'

खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की निधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक लाख रुपये का अंशदान ।

अनुसूची 'ख'

खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि के संचालन के लिए योजना ।

1. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि (जिसका इसके बाद कोष निधि के रूप में उल्लेख किया जाएगा) के उद्देश्य इस प्रकार होंगे :—

(1) खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उनके प्रशिक्षण की अवधि के दौरान तथा प्रतियोगिताओं के दौरान भी जरूरी हो जाने पर उपयुक्त सहायता प्रदान करना, जो इस बात पर निर्भर करेगी कि चोट किस प्रकार की है ।

(2) उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ाते हैं तथा जो अपने कठिन प्रशिक्षण के अलावा अन्य प्रकार के किसी प्रभाव से अपंग हो जाते हैं तथा चिकित्सा के रूप में अथवा मासिक पेंशन के माध्यम से अथवा दोनों ही प्रकार से उन्हें सहायता प्रदान करना जो इस बात पर निर्भर करेगा कि मामला किस प्रकार का है

(3) विपन्नावस्था में खिलाड़ियों और उनके आश्रितों की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से सामान्य रूप से खिलाड़ियों के कल्याण को प्रोत्साहित करने के वास्ते निधि की राशि का उपयोग तथा उसका प्रबन्ध करना ; और

(4) अन्य उन सभी कार्यों को करना जो उपरोक्त उद्देश्यों से सम्बन्धित हों ।

2. निधि के लक्ष्य समस्त भारत में लागू होंगे ।

3. निधि के प्रबन्ध और व्यवस्था के लिए एक महासमिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(1) शिक्षा और संस्कृति राज्य मंत्री —अध्यक्ष

(2) सचिव, भारत सरकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ।

(3) वित्तीय सलाहकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ।

(4) अध्यक्ष, अखिल भारतीय खेल परिषद् ।

(5) अध्यक्ष, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थानों की सोसायटी, (रा. शा. शि. खे. सं. सो.) ।

(6) अध्यक्ष, भारतीय ओलम्पिक संघ ।

(7) अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य व उद्योग चैम्बर संघ ।

(8) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले तीन पराने खिलाड़ी ।

(9) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले राष्ट्रीय खेल परिषदों/राज्य सरकारों के पांच प्रतिनिधि ।

(10) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले राज्य खेल संघों के पांच प्रतिनिधि ।

(11) निदेशक, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला ।

(12) संयुक्त सचिव, (खेल), शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, (सदस्य-सचिव-कोषाध्यक्ष) ।

4. कम से कम 8 सदस्यो का कोरम होगा । प्रत्येक मामला उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किया जाएगा । समान मत होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा ।

5. महासमिति अपने गठन में किसी रिक्ति के बावजूद कार्य कर सकती है ।

6. इसके उपबन्धों के अधीन, महासमिति, जैसा वह उपयुक्त समझे, अपने कार्य के संचालन हेतु समय-समय पर नियम बना सकती है और उनमें परिवर्तन कर सकती है ।

7. निधि की राशि भारत के धर्मार्थ अक्षय निधि के कोषाध्यक्ष के पास रहेगी ।

8. (1) महासमिति, निधि की राशि के निष्पादन से सम्बन्धित नियमन, प्रबन्ध तथा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है ।

(2) महासमिति, बिक्री अथवा सम्पत्ति के निपटान से प्राप्त होने वाली राशि तथा ऐसी किसी अन्य धनराशि और सम्पत्ति का निवेश करेगी जिसे, न्यास की धनराशि के निवेश के लिए कानून द्वारा प्राधिकृत तकाल निवेश की एक अथवा एक से अधिक उद्देश्यों के लिए महासमिति जैसा उपयुक्त समझे, राशि के उपयोग में लाए जाने की तत्काल जरूरत नहीं समझी जाए ।

9. महासमिति, एक अथवा एक से अधिक सदस्यों को महासमिति की राय में ऐसे अधिकार दे सकती है जो केवल सचिवालय हैं, और जिनमें विवेक न हो, अथवा जो सामान्य व्यवहार के लिए आवश्यक और सुकर हों ।

10. निधि की राशि के नियमित लेखे सचिव-कोषाध्यक्ष की देख-रेख में रखे जाएंगे ।

11. सभी करार और अन्य आश्वासन महासमिति के नाम से होंगे और उसकी ओर से कम से कम एक सदस्य अथवा सचिव-कोषाध्यक्ष द्वारा उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

12. महासमिति, किसी उद्देश्य की पूर्ति तथा निधि के समान्य प्रयोजन के लिए किसी अक्षय निधि, दान अथवा अन्य अंशदानों को प्राप्त कर सकती है । वह किन्हीं ऐसे परोपकारी कार्य के लिए अक्षय निधि, दान अथवा अन्य कोई अंशदान प्राप्त कर सकती है बशर्ते कि ये परोपकारी कार्य संगत और इस योजना के प्रावधानों के यथोचित कार्यकरण के अनुरूप हों और उनमें कोई बाधा न डाले ।

[सं. एफ. 13-1/81-डेस्क-1 (स्पोर्ट्स)]

सनत्कुमार चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 1982

IN THE MATTER OF CHARITABLE ENDOWMENTS 1890

AND

IN THE MATTER OF THE NATIONAL WELFARE FUND FOR SPORTSMEN, NEW DELHI

S.O. 166(E).—Whereas Secretary to the Government of India, Ministry of Education and Culture, Department of Education, being the person who proposes to apply the funds of the National Welfare Fund for Sportsmen, New Delhi, in trust for charitable purposes, has applied for vesting the funds mentioned in Schedule 'A' annexed hereto in the Treasurer of Charitable Endowments for India and for the settlement of a scheme for the administration of the said funds;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by sections 4 and 5 of the Charitable Endowments Act 1890 (6 of 1890), and upon the application, as aforesaid, and with the concurrence of the Secretary to the Government of India, Ministry of Education and Culture, Department of Education, do hereby order that the money set out in Schedule 'A' annexed hereto shall, as from the date of publication of this notification, be vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him and his successors in office upon trust to hold the said moneys and the income thereof in accordance with the trust and terms set out in the scheme set forth in Schedule 'B', annexed hereto for the administration of the said funds;

And it is hereby notified that the scheme set forth in Schedule 'B' annexed hereto has, under sub-section (1) of section 5 of the said Act, been settled for the administration of the said fund and under sub-section (3) of the said section 5 of the said Act, it is hereby further ordered that it shall come into force with immediate effect.

SCHEDULE 'A'

Contribution of rupees one lakh made by the Government of India towards the funds of the national Welfare Fund for sportsmen.

SCHEDULE 'B'

Scheme for the administration of the National Welfare Fund for Sportsmen.

1. The objects of the National Welfare Fund for Sportsmen (hereinafter referred to as the Fund) shall be:

(i) to provide suitable assistance to sportsmen injured during the period of their training for international competitions and also during the competitions, depending on the nature of the injury.

(ii) to provide suitable assistance to the outstanding sportsmen who bring glory to the country in the international field and who are disabled as an after effect of their strenuous training or otherwise and to provide them assistance by way of medical treatment or through grant of monthly pension or both, depending on the merit of the case.

(iii) to administer and apply the funds of the Fund to promote the welfare of the sportsmen generally in order to alleviate distress among them and their dependents in indigent circumstances; and

(iv) to do all other things which are incidental to the above objects.

2. The objectives of the Fund shall extend to the whole of India.

3. For the management and administration of the Fund, a General Committee shall be constituted consisting of the following members, namely:—

(1) Minister of State for Education and Culture —Chairman.

(2) Secretary to the Government of India, Ministry of Education and Culture.

(3) Financial Adviser, Ministry of Education and Culture.

(4) President, All India Council of Sports.

(5) Chairman, Society for the National Institutes of Physical Education and Sports (SNIPES).

(6) President, Indian Olympic Association.

(7) President, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry.

(8) Three vetern Sportsmen to be nominated by the Central Government.

(9) Five representatives of State Sports Councils/State Governments to be nominated by the Central Government.

(10) Five representatives of the National Sports Federations to be nominated by the Central Government.

(11) Director, Netaji Subhas National Institute of Sports, Patiala.

(12) Joint Secretary (Sports), Ministry of Education and Culture (Member-Secretary-Treasurer).

4. Not less than 8 members shall form a quorum. Every matter shall be determined by a majority of votes of the members present and voting on question. In case of equality of votes, the Chairman shall have a casting vote.

5. The General Committee may function notwithstanding any vacancy in its constitution.

6. Subject to the provisions herein contained, the General Committee may frame, and vary, from time to time, as they think fit, rules for the conduct of their business.

7. The funds of the Fund shall be vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India.

8. (i) The General Committee may make rules for the regulation, management and for any other purpose connected with the execution of the funds of the Fund.

(ii) The General Committee shall invest the proceeds of the sale or other disposal of the property as well as any monies or property not immediately required to be used for the objects of the Fund in any one or more of the modes of investment for the time being authorised by law for the investment of the trust monies as the General Committee may think proper.

9. The General Committee may delegate to one or more of the members such of their powers as may, in the option of the General Committee, are merely ministerial acts and involve no discretion or are necessary and comfortable to common usage.

10. Regular accounts of the monies in the funds shall be kept by the Secretary-Treasurer.

11. All contracts and other assurances shall be in the name of the General Committee and signed on their behalf by at least one of the members or Secretary-Treasurer.

12. The General Committee may receive any endowment donation or other contributions in augmentation of any of the objects and general purpose of the Fund. They may also receive endowments, donations or other contributions for any special purposes connected with the charity not inconsistent with or calculated to impede the due working of the provisions of this Scheme.

[No. F. 13-1/81-Desk-I(Sports)]

S. K. CHATURVEDI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982